

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ

लखनऊ:दिनांक 02 सितम्बर, 2019

संख्या-एम०ई०-3/2019/2703

::-आवश्यक सूचना:-

नोट यू०जी० 2019 में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम/द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुयी है, अर्थात् (Unallotted candidates) वह अपना सिक्वोरिटी बैंक ड्राफ्ट संबंधित नोडल सेन्टर (जहां पर सिक्वोरिटी बैंक ड्राफ्ट जमा किया गया है) से निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत कर किसी भी कार्यदिवस ( Working Days )में प्राप्त कर सकते हैं:-

1. सिक्वोरिटी धनराशि जमा किये जाने संबंधी रसीद मूल रूप में।
2. यदि अभ्यर्थी अपनी सिक्वोरिटी ड्राफ्ट प्राप्त करने हेतु स्वयं उपस्थित नहीं सकते हैं तो वह अपने अभिभावक को अधिकृत करते हुये अधिकृत प्रतिनिधि जिनके हस्ताक्षर अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित हो, के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी एवं अधिकृत प्रतिनिधि की आई०डी० प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. यदि किसी अभ्यर्थी की सिक्वोरिटी धनराशि जमा किये जाने संबंधी मूल रसीद खो गयी है, तो अभ्यर्थी/अभिभावक द्वारा नोटरी द्वारा सत्यापित 10 रु० के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र कि भविष्य में सिक्वोरिटी के संबंध में कोई दावा (Claim) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, प्रस्तुत कर सिक्वोरिटी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर सकते हैं।
4. धरोहर धनराशि ( Security Money ) वापस किये जाने की कार्यवाही दिनांक 04.09.2019 से 30.09.2019 के मध्य संबंधित नोडल सेन्टर पर की जायेगी, निर्धारित समय-सीमा के अन्दर अपना सिक्वोरिटी धनराशि का बैंक-ड्राफ्ट प्राप्त कर लें।

महानिदेशक